न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 06/2010

1 रामेश्वरलाल पुत्र मोहनलाल।
2 नरेश कुमार पुत्र मोहनलाल।
3 महेश कुमार पुत्र मोहनलाल।
4 गिरीराज पुत्र मोहनलाल।
5 निर्मला देवी पुत्री मोहनलाल।
6 ललिता देवी पुत्री मोहनलाल।
7 गुलाबी देवी पत्नी मोहनलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण दुजोद तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सूर्यनारायण पुत्र मोहरीलाल।
2 प्रेमप्रकाश पुत्र मोहरीलाल।
3 बाबुलाल पुत्र मोहरीलाल।
4 दिनेश कुमार पुत्र मोहरीलाल।
5 शिवकुमार पुत्र मोहरीलाल।
6 पूर्णी देवी पत्नी मोहरीलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण दूजोद तहसील व जिला सीकर।
6/1 सुमित्रा देवी सुरोलिया पुत्री मोहरीलाल पत्नी महेन्द्र कुमार सुरोलिया जाति ब्राहम्ण निवासी धर्माणा के पीछे रामपुरा रोड़ सीकर जिला सीकर।
6/2 सरोज देवी पुत्री मोहरीलाल पत्नी रूपनारायण बोगड मिश्रा जाति ब्राहम्ण निवासी बानूड़ा जिला सीकर।
7 गोपीराम पुत्र सेवाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8 हरिराम पुत्र सेवाराम समस्त जाति जाट निवासीगण कदमा का बास तहसील व जिला सीकर।
9 महेन्द्र सिंह पुत्र गुल्लाराम जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील व जिला सीकर।
10 सुरेश कुमार पुत्र मोहनलाल।
11 प्रकाशचन्द पुत्र मोहनलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण दुजोद तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय एवं आदेश दिनांक
09.03.2010 न्यायालय सहायक कलेक्टर
प्रथम सीकर मुकदमा नम्बर 242/1999
बउनवानी मोहनलाल बनाम सूर्यनारायण आदि

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अमरचन्द गोयल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 22.09.21

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 242/1999 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2010 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 10 व 11 के पूर्वज मोहनलाल ने एक वाद मय आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट/अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के विरूद्व बाबत भूमि पुराने खसरा नम्बर 35 रकबा 48 बीघा 4 बिस्वा अवस्थित है। जिसके नये खसरा नम्बर 89,90,91,92,93,95,96 कुल किता 8 कुल रकबा 12. 05 हैक्टेयर प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की और से काउन्टर टी.आई. प्रस्तुत की। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी का आवेदन खारिज कर दिया एवं अप्रार्थीगण का काउन्टर आवेदन स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर अपीलांट की और से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के पिता मोहरीलाल बाल्यकाल में ही सुखदेव के गोद चले गये तथा सुखदेव की मृत्यु के बाद उसकी भूमियों को विरासत में प्राप्त किया है। कानूनन गोद जाने के बाद जायन्दा घर में गोद जाने वाले व्यक्ति के कोई अधिकार शेष नहीं रह जाते है तथा उसकी वाल्दियत भी परिवर्तित हो जाती है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 ने अपने जवाब आवेदन में अपने पिता को बाल्यकाल में गोद जाने के तथ्य को स्वीकार किया हैं। राजस्व रिकार्ड में मोहरीलाल पुत्र मंशाराम दर्ज है जबकि मोहरीलाल गोद जाने के बाद मंशाराम के पुत्र नही रहा तथा हरबक्स के पुत्रगण पन्ना, मेधा, बिड़दीचन्द व मंशाराम की भूमियों को प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं था। हिन्दु दत्तक अधिनियम 1956 के अनुसार 15 वर्ष से ज्यादा उम्र का व्यक्ति गोद नहीं लिया जा सकता है। जबकि अप्रार्थी संख्या 7 ता 9 ने मोहरीलाल को 33 वर्ष की उम्र में गोद जाना बताया है। अप्रार्थी संख्या 7 ता 9 द्वारा कथित गोदनामा दिनांक 20.08.1964 के दिन उक्त मोहरीलाल की जायन्दा मां जीवित थी तथा दिनांक 14.08.1974 को खत्म हुई। उक्त दिनांक 20.08.1964 के कथित गोदनामा में उक्त जायन्दा मां के हस्ताक्षर नहीं है इसलिए दत्तक अधिनियम की धारा 16

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के अनुसार गोदनामा की सत्यता के बारे में अनुकूल धारणा भी उपलब्ध नहीं होती है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 ने प्रार्थी के विरूद्व काउण्टर टी.आई. पेश की किन्तु बाद में विचारण न्यायालय में अनुपस्थित रहे तथा अप्रार्थी संख्या 7 ता 9 ने कोई काउण्टर टी.आई. पेश नही की तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 द्वारा वादाधीन विकय पत्र किये जाने के बाद संशोधित आवेदन का जवाब भी नहीं दिया तथा अनुपस्थित रहें। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 द्वारा प्रार्थी के आवेदन का कोई विरोध नहीं रहा एवं अप्रार्थी संख्या 7 ता 9 द्वारा कोई काउण्टर टी.आई. पेश नहीं की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 ने वादाधीन विकय पत्र पंजीकृत करवाये है जो बिना विचारण न्यायालय की स्वीकृति के करवाये है तथा स्थगन से भी पाबन्द थे जो किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित धारा 212 के आदेश एवं काउन्टर टी.आई के आदेश के विरूद्व पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत नही की है। ऐसी स्थिति में अपील पोषणीय नही है। विचारण न्यायालय में उभयपक्ष को सुनकर पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एंव अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य हक हकुक का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त किया जाना शेष है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन आदेश से प्रार्थीगण अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज किया है एवं अप्रार्थीगण का काउन्टर टी.आई स्वीकार कर प्रार्थीगण को पाबन्द किया है। इस सन्दर्भ में न्यायालय का स्पष्ट मत है कि वाद के निर्धारण तक पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नही हो, इसे दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय को वाद के निर्णय तक उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित करने चाहिए थे ऐसा नही कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय ने विधिक भूल की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं ताफैसला वाद उभयपक्ष को विवादित भूमि खसरा नम्बर 92 व 96 की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर